# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

## (पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

**अपील संख्याः—140/2016/225 आर.टी.एक्ट (2016/00140)**

1. हरिराम पुत्र लादू (फौत) जरिए वारीसानः—
   1/1 रामचरण पुत्र स्व0 हरिराम
   1/2 शारदा पुत्री स्व0 हरिराम
   1/3 चन्ता पुत्री स्व0 हरिराम
   1/4 सुंदर पुत्री स्व0 हरिराम
   1/5 मोपत पुत्री स्व0 हरिराम
2. गोपी पुत्र रामा (फौत) जरिए वारीसानः—
   2/1 केसर पत्नी गोपीराम
   2/2 लीला पुत्री गोपीराम
   2/3 कैलाश पुत्र गोपीराम
   2/4 जगदीश पुत्र गोपीराम
   2/5 मौसम पुत्री गोपीराम
3. कल्याण पुत्र रामा
4. लाला पुत्र पेमा
5. मदन पुत्र स्व0 दयाल पौत्र पेमा
6. हरकरण पुत्र स्व0 दयाल पौत्र पेमा
7. भैरू पुत्र स्व0 हरदीन
8. शम्भू पुत्र स्व0 हरदीन
9. लाला पुत्र स्व0 हरदीन
10. रणजीत पुत्र स्व0 हरदीन
11. मुकेश पुत्र स्व0 श्योजी पौत्र हरदीन
12. नन्दराम पुत्र लक्ष्मण (फौत) जरिए वारीसान
    12/1 कमला देवी पत्नी नन्दराम
    12/2 सुरज्ञान पुत्री नन्दराम
    12/3 नेराज पुत्री नन्दराम
    12/4 माया पुत्री नन्दराम
    12/5 चुका पुत्री नन्दराम
    12/6 रामावतार पुत्र नन्दराम
    12/7 राकेश पुत्र नन्दराम
    12/8 रेखा पुत्री नन्दराम
13. सूरजकरण पुत्र लक्ष्मण
14. मल्लाराम पुत्र लक्ष्मण(फौत) **नाम तर्क**
15. जीवन पुत्र लक्ष्मण
16. पोखर पुत्र लक्ष्मण

    समस्त जाति जाट निवासीगण चक पिंगलोद, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।

**अपीलांट्स**

**बनाम**

1. विजय सिंह मेहता पुत्र श्यामसिंह मेहता, निवासी श्याम सिंह जी की हवेली, मेहणोता का मौहल्ला, पुराना शहर, किशनगढ जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रूपनगढ।
3. उप—पंजीयक, रूपनगढ।

**रेस्पोडेन्ट्स**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 06.04.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ राजस्व वाद संख्या 92/2014**

**उपस्थितः–**

1. श्री एस0पी0औझा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मौ0 इकबाल अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3

## निर्णय

**दिनांकः–20.08.2025**

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 92/2014 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट्स ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बाबत खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया तथा साथ ही एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 15.01.2014 को प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट को तलब किया गया। अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने उपस्थित होकर अपना जवाब दिनांक 27.11.2015 को प्रस्तुत किया गया तथा कथनों को अस्वीकार किया गया। उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के समक्ष पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत हुई उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ ने सभी दस्तावेज का अवलोकन कर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम नामांतरकरण संख्या 852 दिनांक 28.1.2014 विचाराधीन वाद एवं प्रार्थना पत्र के मध्य पारित किया के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदार मानकर अपने निर्णय दिनांक 06.04.2016 के द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 92/2014 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलांट्स ने प्रार्थना के साथ संवत 2010 से 2020 एवं खसरा गिरदावरी 2031 से 2033 प्रस्तुत की एवं खसरा गिरदावरी स्लीप जिसमें लगान जमा करवाया 2010 से 2018 प्रस्तुत की जो अपीलांट्स के कब्जे की ताईद करती है। उपरोक्त दस्तावेज से प्रार्थीगण काबिज काश्त है। उसके बावजूद उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज करने में उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ ने भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ ने

अप्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार होना मानकर प्रार्थना पत्र खारि किया है जबकि उन्होंने यह नहीं देखा कि अपीलांट्स के द्वारा वाद एवं टी0आई0 प्रार्थना पत्र दिनांक 15.1.2014 को प्रस्तुत कर दिया था जिसके सम्मन व नकल अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को दी जा चुकी थी उसके बावजूद बिना किसी जांच पडताल के आनन फानन में नामांतकरण संख्या 852 दिनांक 28.1.2014 को स्वीकार किया जो दौराने वाद किया गया था साथ ही उक्त नामांतकरण पर स्पष्ट लिखा हुआ है तथा स्थगन नहीं है उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का के द्वारा की हुई थी तथा ग्राम पंचायत ने विरासत नामांतकरण की जांच हेतु नामांतकरण संख्या 852 रोक लिया था उसके बावजूद तहसीलदार ने उक्त नामांतकरण स्वीकार कर लिया और उसको आधार मानकर प्रार्थीगण/अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज करने में उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ ने भूल की है। पूर्व राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि पृथ्वीसिंह मुतबन्ना श्यामसिंह दर्ज है अर्थात श्यामसिंह के कोई औलाद नहीं होने से पृथ्वीसिंह को मुतबन्ना के रूप में दर्ज किया हुआ है तो फिर रेस्पोडेंट संख्या 1 विजयसिंह किस प्रकार से श्यामसिंह का पुत्र हो सकता है यह विचारणीय बिंदु है। इसी कारण ग्राम पंचायत ने विरासत को जांच हेतु रोक लिया था और तहसीलदार ने किसी प्रकार की जांच पडताल किए बिना रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम नामांतकरण को खोल दिया और उसी को आधार बनाकर उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ ने खातेदार के विरूद्ध टी0आई0 जारी किया जाना उचित नहीं होना मानकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के समक्ष उक्त पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि दौराने वाद व टी0आई0 प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज कर दी है तो फिर जब तक वाद का निर्णय नहीं हो तब तक विवादित आराजी को रहन बय मुंतकिल नहीं करने हेतु तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश पारित किए जाने चाहिए थे। विवादित आराजी को श्यामसिंह की पत्नी पदमकंवर ने अपने जीवनकाल में ही बेचान कर दिया था तदपश्चात पृथ्वीसिंह को गोद लिया था इसलिए अगर पृथ्वीसिंह के नाम कोई राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज भी कर दी है तो उसे अपीलांटस के हक व अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडता क्योंकि अपीलांटस तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के आने से पूर्व विवादित आराजी पर काबिज काश्त थे तथा प्रचलित कानून के तहत व खातेदार हो चुके थे तथा टाईटल का विवाद वाद में साक्ष्य उपरांत निर्णित होना है इन सभी को मध्यनजर रखते हुए रेस्पोडेंट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जानी चाहिए थी। उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वैधानिक घटकों को गलत रूप से निर्णित करते हुए अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भूल की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 92/2014 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि पृथ्वीसिंह वल्द श्याम सिंह उनका भाई था। पृथ्वी सिंह के कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी लाड कंवर का देहावसान होने पर प्रतिवादी

संख्या 1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार उपरोक्त संपत्ति पर विधिवत रूप से खातेदार अभिधृत हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 पृथ्वीसिंह का निकटतम वारिस है एवं पदम कंवर ने कभी भी उपरोक्त भूमि को विक्रय नहीं किया। उपरोक्त प्रलेख कूटरचित होने के साथ साथ साक्ष्य में अग्राहय है। वादीगण का उपरोक्त भूमि पर आधिपत्य नहीं है। मूल खातेदार के विरूद्ध प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी नहीं है। उपरोक्त भूमि के बाबत स्वयं वादीगण का यह अभिवाक है कि पृथ्वी सिंह मूल जागीरदार का बापीदार था। इस कारण वादीगण को कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं न ही प्रार्थीगण उपरोक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आते समय अभिधारी के रूप में अभिधृत थे आदि। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट्स/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया तथा साथ में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए अपीलांट्स/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 को दिनांक 06.04.2016 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स/वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विनिश्चित करने के तीन मूलभूत बिंदु है यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति। हमारे द्वारा उक्त न्यायिक नजीरों एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीन बिंदुओं का विश्लेषण निम्नानुसार है–

***प्रथम दृष्टया प्रकरण :–*** पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2010 से 2018 में कृषक के रूप में पृथ्वीसिंह मुतबन्ना श्यामसिंह बापीदार का नाम दर्ज है एवं उसके बाद भी पृथ्वी सिंह का नाम लगातार राजस्व रिकार्ड में अंकित रहा है। विवादित प्रकरण में पृथ्वीसिंह के फौत होने पर फौती/विरासती नामांतरकरण विजयसिंह के नाम नामांतरकरण संख्या 852 दिनांक 28.1.2014 से इंद्राज किया गया है, उक्त नामांतरकरण को अपीलांटगण द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में बनना पाया जाता हो। वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या 1 राजस्व रिकार्ड में खातेदार/काश्तकार के रूप में दर्ज हैं तथा बिना राजस्व दस्तावेजों के आधार पर एक रिकार्डेड खातेदार को अकारण ही अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायायल की पत्रावली में सलंग्न राजस्व दस्तावेजात के अवलोकन से ही स्पष्टतया प्रथम दृष्टया प्रकरण रेस्पोडेंट के पक्ष में बनना जाहिर है।

***इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे(18) 2011 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत– RAJASTHAN TENANCY ACT,1955- Section 212-Temporary injunction cannot be granted against recorded khatedar.***
उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते हैं।

***<u>सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति</u> :–*** वर्तमान प्रकरण के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं उसके पूर्वज राजस्व रिकार्ड में संवत 2010 से ही रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में बनना पाया जाए ऐसी स्थिति में यदि एक रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी रेस्पोडेंट को कारित होगी। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदु भी रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में साबित है।
*प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदु वर्तमान रेस्पोडेंटगण के पक्ष में सिद्ध होते है।*

***यदि धारा 212 के अन्तर्गत स्वविवेक के अधिकारों के प्रयोग में अधीनस्थ न्यायालय ने सामान्य न्याय के सिद्धातों का सही प्रयोग किया है तो अपील व निगरानी न्यायालय को उक्त आदेश में दखल नहीं करना चाहिए* (1973 आर.आर.डी. 417; बहादुरमल बनाम जौहरीलाल, 1973 आर. आर.डी. 400 हीरा बनाम नत्थू)**

*अतः उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक नजीरों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न्यायालय हाजा को उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।*

7. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 92/2014 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2016 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

8. निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**